Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत...मुकाम...

....बनाम.............. विजयशंकर ....

किस्त मुकदमा..... राधेश्याम 225 .... नं. ....सन ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
26.1.24	पत्रावली पेश हुयी। वकील अपीलांट उपस्थित। लिमिटेशन रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील "subject to Limitation" दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट को एक पक्षीय अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पर सुना गया। वकील अपीलांट का कथन है कि वादित आराजी अपीलांट की स्वयं की कब्जे व खातेदारी की आराजी है। जिसमें अपीलांट बदस्तूर काबिज रह कर जोत बोकर लेते आ रहे हैं। अपीलांट की आराजी से रेस्पोंडेंट का कोई संबंध सरोकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोंडेंट/प्रार्थी ने अपीलांट के विरुद्ध कोई दादरसी नही चाही है न ही दोनों के मध्य किसी भी आराजी को लेकर विवाद है। ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड खातेदारान को किसी भी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। हमने बहस अपीलांट पर मनन किया। --- (लगातार)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की तारीख में जारी हुये
	पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दि० 18/2/2022 में स्पष्ट अंकित है कि प्रार्थी के हिस्से की आराजी के रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी विजयकौर के हिस्से तक ही स्थगन आदेश पारित किया है। प्रार्थी विजयकौर ने अपीलांट राधेश्याम से कोई दादरसी भी नही चाही है न ही दोनों के मध्य कोई विवाद है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। वैसे तो अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से स्पष्ट है परन्तु उसे और अधिक सुस्पष्ट करने के लिये हम यहाँ यह उल्लेखनीय समझते हैं कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश से मुक्त किया जाता है एवं तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह जमाबंदी में नोट संख्या 3 दिनांक 21/11/2023 में सभी काश्तकार को पाबंद करने के नोट में आंशिक संशोधन करते हुये, विवादित आराजी में केवल रेस्पोंडेंट संख्या 1 के नोशनल शेयर तक ही रिकार्ड व मौके की यथास्थिति का नोट अंकित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें। बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। हस्ताक्षर (रमा त्रिवेदी) भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)	